In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Leading Hand (Administration) in Level-2 in the pay matrix Rs.19,900-63,200) with eight years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	2. Senior Administrative Officer or equivalent rank — Member; 3. A Group 'A' Officer from any other Ministry or Department of the Central Government - Member.	Not applicable.

[F. No. BRDB/01/05/2021/GE-1/46/RR/D (A)/2023] DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

(वित्त प्रभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2023

का.नि.आ. 74.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2009 का अधिक्रमण करते हुए, उन वातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा लेखा विभाग में लेखापरीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भों (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :- पूर्वोक्त पद के लिए भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बाते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (12) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हताएं :- कोई व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लेखापरीक्षक	16961'(2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण: लेखापरीक्षक एवं ज्ये 3 लेखापरीक्षक श्रेणी में पदों की संयुक्त संख्यावल में मे अधिकतम 80% ज्येष्ठ लेखापरीक्षक की श्रेणी में संचालित किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग') अननुसचिवीय (अराजपवित)	वेतन मैट्रिक्स स्तर - 5 (रु. 29200-92300)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सामान्य श्रेणी के लिए 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष तक की छूट)। आयु सीमा की प्रमाणिक तारीख का निर्धारण कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार होगा।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में उस श्रेणी का नाम जिससे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समतुल्य अर्हता	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(i) 70 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ii) 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (iii) 10 प्रतिशत स्नातक	 (i) 20 प्रतिशत प्रोन्नित उन लिपिक-सह-टंककों में से जो उस श्रेणी में न्यूनतम 13 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं। (ii) 10 प्रतिशत प्रोन्नित उन स्नातक लिपिकों-सह-टंककों और स्नातक बहु कार्य कर्मचारीवृन्द में से जो

	लिपिक-सह-टंककों और स्नातक बहु कार्य कर्मचारीवृन्द में से उनके द्वारा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर। टिप्पण: लेखापरीक्षकों की सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर की जाएगी।	लेखापरीक्षक पद के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं। टिप्पणी: (1) स्नातक लिपिकों में से प्रोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा तभी आयोजित की जाएगी जब पर्याप्त संख्या में रिक्तियां उपलब्ध होती है। बीच की अवधि के दौरान स्नातक लिपिक-सह-टंककों के लिए निर्धारित रिक्तियां न तो व्यपगत होंगी और न ही भरी जाएंगी। टिप्पणी: (2) लिपिक-सह-टंकक एवं आंकड़ा प्रविष्टि परिचालक, जो अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-। उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें उपरिलिखित 20 प्रतिशत कोटे के प्रति बिना पारी के लेखापरीक्षक श्रेणी पर प्रोन्नत किया जाएगा। टिप्पणी: (3) 26 सितंबर 2009 को नियमित आधार पर लिपिक-सह-टंकक के पोषक पद धारण करने वाले व्यक्ति के लिए लेखापरीक्षक की श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा आठ वर्ष की बनी रहेगी।
--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(12)	(13)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : (1) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक या रक्षा लेखा नियंत्रक या रक्षा लेखा अपर नियंत्रक या		लागू नहीं होगा। या
रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक	- अध्यक्ष	
(2) रक्षा लेखा उप नियंत्रक	- सदस्य	
(3) रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी	- सदस्य	

(फा. मं. 9(3)/C/2017]

वेदवीर आर्य, अपर वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव

(Finance Division) NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2023

- S.R.O. 74.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts Department (Auditor) Recruitment Rules, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Auditor in the Defence Accounts Department namely: -
- Short title and commencement: (1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Auditor)
 Recruitment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in pay matrix: -The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of Recruitment, age- limit, qualification etc.: The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (12) of the said Schedule.

4. Disqualifications: - No person,

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax: Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it
 may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any
 class or category of persons.
- 6. Saving: Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-serviceman and any other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Level in Pay Matrix	Selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Auditor	* Subject to variation dependent on workload. Note: Combined strength of posts in the grades of Auditor and Sr. Auditor, out of which a maximum of 80% may be operated in the grade of Sr. Auditor.	General Central Services (Group 'C') Ministerial (Non-Gazetted)	Level -5 in the pay matrix (Rs 29200-92300)	Non-selection	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of Schedule Castes and Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). The crucial date for determining the age limit shall be advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other Qualifications required for direct recruits	Whether age and educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/absorption grade from which promotion/deputation/absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Degree of a recognised University or equivalent qualification	Not Applicable	Two years for direct recruits.	(i) 70% by direct recruitment. (ii) 20% by promotion. (iii) 10% by promotion from amongst Graduate	 (i) 20% by promotion from amongst Clerks-cum-Typists who have rendered a minimum of thirteen years regular service in the grade. (ii) 10% by promotion from amongst

	clerks-cum-Typists and Graduate Multi Tasking Staff on passing the departmental examination. Note: -Direct Recruitment of Auditors will be made on the basis of Examination conducted by Staff Selection Commission.	Graduate Clerks-cum-Typists and Graduate Multi Tasking Staff having a minimum of three years of service on passing the Departmental Examination by them for the post of Auditor. Note: (1) The Departmental Examination for promotion out of graduate clerks shall be conducted as and when sufficient number of vacancies becomes available. During the intervening period, vacancies earmarked for graduate clerk-cum-Typist shall neither lapse nor be filled up. Note: (2) Clerks-cum-Typists and Data Entry Operators who pass Part-I Subordinate Accounts Service Examination shall be promoted out of turn to the grade of Auditor, against the aforesaid 20% quota. Note: (3) The eligibility service for promotion to the grade of Auditor shall continue to be eight years for person holding the feeder post of Clerk-cum-Typist on regular basis as on the 26th September 2009.
--	--	--

If Departmental promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
 Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of; (1) Principal Controller of Defence Accounts or Controller of Defence Accounts or Additional Controller of Defence Accounts or Joint Controller of Defence Accounts (2) Deputy Controllers of Defence Accounts (3) Assistant Controllers of Defence Accounts or Senior Accounts Officer 	Not Applicable

[F. No. 9(3)/C/2017]

VEDVEER ARYA, Addl. Financial Adviser and Jt. Secy.

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2023

का.नि.आ. 75.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय (सिविल संनिर्माण काडर) भर्ती नियम, 2000 एवं रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, अपर मुख्य निर्माण अभियंता (सिविल संनिर्माण अधिकारी काडर) भर्ती नियम 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है यह करने से लोप किया गया है रक्षा

and a little company

711111